126/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जंज
06/9/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण एकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराना बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी खेत ग्राम कोरणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 758 व खसरा संख्या 529/758 कुल रकबा 47–03 बीघा भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 में यानि 1/4 हिस्सा है व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है व खसरा संख्या 1521/765 रकबा 96–12 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 01 का निहित है, लेकिन वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण विप्रार्थी आये दिन प्रार्थीगण की कब्जा काश्त भूमि में दखलदांजी करने पर उतारू रहते हैं एवं प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि को बेचान करने की धमकियां देते हैं। यदि **इसमें सफल** हो गए तो प्रार्थीगण के आवेदन का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण के विरूद्ध मूलवाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया जावें। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि ग्राम कोरणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 758 व खसरा संख्या 529/758 कुल रकबा 47–03 बीघा व खसरा संख्या 1521/765 रकबा 96–12 बीघा भूमि के पक्षकारान रिकार्डेड खातेदारान है। जिनका मूल विवाद विवादित भूमि के बंटवाड़े को लेकर है.जो मूलवाद वादी साक्ष्य में विचाराधीन चल रहा है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं वकील प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Son
Date: 2022.10.05 19:01:09 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे स्पष्ट हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना अति आवश्यक हो। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न है,यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध जाता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:01:09 IST
Reason: SelfAttested